



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प भोपाल
PBR/निगरानी/हरदा/भू.रा.2017/4894

निगरानी प्र.कं. :- /पीबीआर/2017

प्रस्तुत दिनांक :-

याचिकाकर्तागण :-1. रामौतार वल्द हीरालाल

2. इंदरबाई पत्नि रामौतार

3. शिवनारायण वल्द रामौतार

4. गायत्रीबाई पत्नि शिवनारायण

5. चंद्रशेखर पिता शिवनारायण

6. अंजली पति चंद्रशेखर

7. भगत सिंह वल्द शिवनारायण

सभी जाति जाट निवासी ग्राम रातातलाई

तहसील हंडिया जिला हरदा

बनाम

उत्तरवादीगण

:-1. रामभरोस आयु-42 पिता तुलसीराम जाट

2. कु. ईशा आयु-12 वर्ष ना.बा. वल्द व बली

पिता रामभरोस जाट

3. कु. मिशा आयु- 10वर्ष नाबालिग वल्द वो बली

पिता रामभरोस

4. कार्तिक आयु-7 वर्ष नाबालिग वल्द वो बली

पिता रामभरोस, सभी जाति जाट निवासी ग्राम

श्री. राजश्याम शर्मा
श्री. विमलेश कुमार शर्मा 28-11-17
श्री. राजश्याम शर्मा
28-11-17

//02//

देवास तहसील हंडिया जिला हरदा

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

याचिकाकर्तागण यह याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी हरदा द्वारा राजस्व अपील कं. 21/वर्ष 16-17 ग्राम खेड़ा मे आदेश पत्रिका मे पारित आदेश दिनांक-16/08/17 से व्यथित होकर तथा आदेश पत्रिका दिनांक-18/08/17 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है :-



प्रकरण के तथ्य

1/- यह,कि उत्तरवादीगणो के द्वारा एक अपील माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय हरदा की न्यायालय मे अन्तर्गत धारा-44(1अ) म.प्र.भू.रा.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय हंडिया द्वारा रा.प्र.कं. 21/अ-27/वर्ष 2010-11 मे पारित आदेश दिनांक-17/01/12 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की, एवं अपील को समयवधि मे मानकर श्रवण किए जाने हेतु पृथक से एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-05 भारतीय मर्यादा अधिनियम का भी प्रस्तुत किया।

2/- यह,कि न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय हरदा द्वारा याचिकाकर्तागण/ उत्तरवादीगण को वगैर सूचनापत्र जारी किए और वगैर उनकी विधिक तामिली के अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-05 भारतीय मर्यादा अधिनियम का दिनांक-18/08/17 को स्वीकार कर लिया गया, पश्चात उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण की तामिली हुई पश्चात मे एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-32 म.प्र.भू.रा.सं. का इस आशय का उत्तरवादीगण/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि

Anjali Patel



हरदा तहसील हंडिया

Shagat

//03//
राज और राजू

रामोतर / रामरोसे
 PIR / नि. / दरदा / मू.श / 17 / 4294

3

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारियों आदि के हस्ताक्षर
<p>5/X/18</p>	<ul style="list-style-type: none"> - आवेक रामोतर के अति (धनश्याम सोनी उपस्थित) - आवेक अति अनुपाष्टिक - म.प्र. नू. श संवि. 1959 में 25 सितम्बर 2018 से संशोधन लागू किया गया है। जिसके अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध संशोधन अधिनियम की धारा 50 (1) व 54 (क) अनुसार निगरानी (Revision) कलेक्टर के द्वारा सुनी जायेगी। - अतः प्रकरण कलेक्टर दरदा को वर्ष निरकरण हेतु भेजा जाये। - सम्बन्धित पक्षकारों के आदिमपत्रों को नोटकरा में। - उभयपक्ष दिनांक 5.XI.2018 (5th नवम्बर 2018) को कलेक्टर दरदा के कार्यालय में उपस्थित हों। <p>CF. 05.11.2018 </p>	<p> (धनश्याम सोनी)</p>